

महत्वपूर्ण परिपत्र

संख्या: प्रशा/III/3088/वेतन निर्धारण

दिनांक: 23/07/2020

सेवा मे ,

- 1- मुख्य कार्यालय के समस्त अनुभाग
- 2- इस संगठन के सभी अधीनस्थ कार्यालय
- 3- क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ
- 4- एकीकृत वित्तीय सलाहकार (मध्य कमान) लखनऊ

**विषय - CCS (RP)Rule 2016 के Rule-5 के अंतर्गत वेतन पुनर्निर्धारण का विकल्प ।**

कृपया मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं. AN/XIV/14164/7<sup>th</sup> CPC/Corr/Vol-II दिनांक 18/10/17 का संज्ञान ले जो CCS (RP)Rule 2016 के Rule-5 अंतर्गत के ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों से संबन्धित है जिनकी पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन 01/01/2016 से लेकर RPR-2016 के जारी होने के बीच है।

मुख्यालय के उपरोक्त पत्र के अनुसार Ministry of Finance , Department of Expenditure ने अपने सं 300346981 दिनांक 14/09/17 के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि " the option to switch over to the revised pay structure either on 01/01/2016 or the date of next increment, is applicable under rule-5 of CCS(RP) Rule 2016 in case of post held on 01/01/2016. "

Further they have clarified that if the date of next increment on 01/07/2016 for a post held on 01/01/2016 falls after the date of promotion, then the date of next increment for the post held on 01/01/2016 has no relevance for option. Thus, the option cannot be exercised from 01/07/16 to switch over to revised pay structure.

अतः ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन 01/01/2016 और 01/07/2016 के मध्य हुआ हो और जिन्होंने RPR-2016 के अंतर्गत वेतन निर्धारण का विकल्प 01/01/2016 या पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन की वास्तविक तिथि से न देकर पुराने वेतनमान के अगले वेतन वृद्धि 01/07/2016 से दिया हो, उनसे अनुरोध है कि वे CCS (RP)Rule 2016 के Rule-5 के अंतर्गत 7<sup>th</sup> CPC में वेतन पुनर्निर्धारण का विकल्प 01/01/2016 या पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन की वास्तविक तिथि से चुनने का संशोधित विकल्प दिनांक **25/08/2020** तक दे सकते हैं। यदि विकल्प नहीं दिया जाता है या विकल्प निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त होता है तो ऐसे मामलों पर कोई


विचार नहीं किया जाएगा और उनका 7<sup>th</sup> CPC के अंतर्गत वेतन निर्धारण 01/01/2016 से किया जाएगा और साथ ही साथ अधिक देय की वसूली भी की जाएगी ।

समस्त प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है कि इस परिपत्र के विषयवस्तु को अपने कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नोट कराएं तथा प्राप्त विकल्प को, यदि कोई हो, इस कार्यालय के प्रशासन-III अनुभाग को प्रेषित करें ताकि वे निर्धारित समयावधि में प्राप्त हो जाएँ ।

— Eo —  
वर्गाधिकारी (प्रशा.)

प्रतिलिपि-

OA Cell : परिपत्र को समस्त कार्यालयों के मेल पर प्रेषित करने तथा PCDA-CC के  
(स्थानीय) website पर लोड करने हेतु।

  
लेखाधिकारी (प्रशा-III)